न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 156 / 2025 (GCMS: 2025/232)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह उम्र 30 साल, जाति [illegible]ख निवासी 66 एनजैडपीए गांव श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री[illegible]र मोबाईल नम्बर 99825–60018 आधार नम्बर 4615–4044–1446

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 28.07.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ हुआ है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी चक 41 एफ भट्टे पर से सामान जब्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर जब्त किये गये सामान / सामग्री कार्यालय में रखा जता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है प्रार्थी बलकार सिंह उक्त जब्तशुदा सामान को लेना नहीं चाहता है और न ही वह जब्तशुदा सामान की कोई मांग करेगा। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 17.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ तहसील करणपुर की ग्राम पंचायत 43 जीजी (खरला) के गांव 41 एफ में एसएमएस ईंट उद्योग के पास बने आहते पर पहुंचे। मौके पर अहाते के मालिक को जरिये दूरभाष बुलाया गया, जिसने स्वयं को अहाते का मालिक होना बताया, जिसकी उपस्थिति में अहाते की जांच की गई। वक्त जांच अहाते में पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ तथा डिस्पेसिंग यूनिट के बारे में पूछने पर बलकार सिंह ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और और न ही कोई अनुज्ञा पत्र / परमिट प्रस्तुत किया गया। इस[illegible]था बलकार सिंह अहाते में 10350 लीटर पेट्रोलियम [illegible] वाली मोटरे, 2 रबड़ की पाईप (1 हरे रंग की, 01 [illegible]की) [illegible] माप (10 लीटर क्षमता) तथा 01 लाल रंग की डिस्पेसिंग यूनिट को ज[illegible] किया गया है तथा समस्त जब्त किये गये सामान की फर्द सैम्पलिंग तैयार की गई। जब्त किये गये 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को बलकार सिंह को सपुर्दगी में दिया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सीज किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी बलकार सिंह ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोलियम पदार्थ का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02(क्यू)(आर), 03(4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जब्तशुद्धा 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 2 बिजली से चलने वाली मोटरे, 2 रबड़ की पाईप (1 हरे रंग की, 01 नीले रंग की), 01 लोहे का माप (10 लीटर क्षमता) तथा 01 लाल रंग की डिस्पेसिंग यूनिट को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी बलकार सिंह आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए और अप्राथी द्वारा पूर्व में लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वह चक 6 एन जैड पी ए बालूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। उसके आहते में से जिला रसद अधिकारी द्वारा सामान जब्त किया गया।

उसका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त की गई सामान/सामग्री विभाग में रखा जाता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और न ही वह जब्त सामान की मांग करेगा। जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किये गये सामान प्रार्थी वापिस नहीं लेना चाहता है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 17.04.2024 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ गांव पंचायत 43 जीजी (खरलां) के गांव 41 एफ पर जांच हेतु पहुंचे तो अप्रार्थी बलकार सिंह के आहाते में से 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एक डिपेसिंग यूनिट एवं अन्य सामग्री रखी हुई पायी गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी **बलकार सिंह पुत्र लखवीर सिंह ने उक्त जब्ताशुदा 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एंव डिस्पेसिंग यूनिट एवं अन्य सामग्री के बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया तथा उसके पास भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन [illegible] लिखित जवाब में कथन किया है कि उसके सामान/सामग्री को [illegible] किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी बल[illegible] बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में [illegible]ताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी बलकार सिंह द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

तहसील श्रीकरणपुर की ग्राम पंचायत 43 जीजी (खरलां) के गांव 41 एफ में एसएमएस ईंट उद्योग पर डिस्पेरिंग यूनिट के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचान करना **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 3(क्यू)(आर), 03(4)(6), 04 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे** जब्तशुदा 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

मैने, अप्रार्थी बलकार सिंह के प्रार्थना पत्र एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 17.04.2025 को उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के नेतृत्व में अवैध पेट्रोल व डीजल की ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर, तहसील श्रीकरणपुर की ग्राम पंचायत 43 जीजी (खरला) के गांव 41 एफ में एसएमएस ईट उद्योग के पास बने अहाते पर पहुँचे। मौके पर उक्त अहाते में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर, तहसीलदार, श्रीकरणपुर मय पुलिस टीम, पुलिस थाना, केसरीसिंहपुर उपस्थित मिले। मौके पर अहाते मालिक को जरिये दूरभाष सम्पर्क पर बुलाया गया। दूरभाष सूचना पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय श्री बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह उम्र 30 साल जाति जटसिख निवासी 66 एनजैडपीए गावं श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर, मो. नंबर– 9982560018 होना बताया। श्री बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह ने स्वयं को उक्त अहाते का मालिक होना बताया। श्री बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह की उपस्थिति में उक्त अहाते की जांच की गई। जांच के समय उक्त अहाते में कुल 10 सफेद रंग की प्लास्टिक टंकियां तथा 01 हरे रंग की प्लास्टिक टंकी पायी गयी। मौके पर अहाते में 02 विद्युत चालित मोटरें तथा 01 हरे रंग व 01 नीलें रंग की बड़ी पाईपें मोटरों से जुडी पायी गयी। मौके पर दीवार के साथ रखी 02 सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकियों से नीचे की तरफ से 02 सफेद रंग की प्लास्टिक पाईप से पास बने कमरे/गोदाम [illegible] पायी गयी। मौके पर श्री बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह से पूछने पर उस[illegible] रंग की प्लास्टिक टंकियों में से 07 टंकियों की [illegible] टंकियों की क्षमता [illegible] क्षमता 5000 लीटर तथा 1000 लीटर व 01 सफेद रंग की प्लास्टिक टंकी [illegible] होना बताया गया। मौके हरे रंग की 01 प्लास्टिक टंकी की क्षमता 1000 ली[illegible] पर अहाते में पायी गयी कुल 11 प्लास्टिक टंकियो की जांच की गयी। जांच के समय मौके पर 03 सफेद प्लास्टिक टंकिया (क्षमता 1000 लीटर वाली) पूर्ण रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 156 / 2025
सरकार बनाम बलकार सिंह
(GCMS No. 2025/232)

से पैट्रोलियम पदार्थ से भरी पायी गयी। शेष 04 प्लास्टिक टंकियां (क्षमता 1000 लीटर) का माप व भौतिक सत्यापन करने पर क्रमशः 700, 150, 150, 200 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। अहाते में पायी गयी 01 प्लास्टिक की हरे रंग की टंकी का माप करने पर भौतिक सत्यापन बाद पूर्ण रूप से पैट्रोलियम पदार्थ से भरा होना पाया गया, अहाते में पायी गयी 2 सफेद रंग की प्लास्टिक टंकिया (क्षमता 2000 लीटर) का माप करने पर 1 प्लास्टिक टंकी पूर्ण रूप से पैट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई तथा दूसरी प्लास्टिक टंकी (2000 लीटर क्षमता की) में लगभग 800 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। अहाते में पायी गयी 1 सफेद प्लास्टिक टंकी (क्षमता 5000 लीटर) को मापने पर भौतिक सत्यापन बाद उक्त टंकी में लगभग 600 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। **इस प्रकार अहाते में रखी कुल 11 रास्टिक टंकियों में वक्त मौका माप करने पर कुल** 1000 + **1000+ 1000+ 700+ 150+ 150 + 200 +1000 + 2000+ 800 +** 600 **कुल 8600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया।** मौका जांच पर अहाते में पक्का कमरा / गोदाम बना हुआ पाया गया। उक्त गोदाम के बाहर लोहे का शटर बरंग पीला लगा पाया गया जो कि जरिये ताला बन्द पाया गया, शटर पर अंबुजा सीमेन्ट लिखा पाया गया। मौके पर श्री बलकार द्वारा ताला खुलवाया जाकर उनकी उपस्थिति में उक्त गोदाम / कमरे की जांच की गयी। मौके पर अहाते में पायी गयी 5000 लीटर क्षमता की सफेद प्लास्टिक टंकियां (संख्या 03) का भौतिक सत्यापन करने पर क्रमश लगभग 400 लीटर 200 लीटर तथा 600 लीटर तरल पैटोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर पायी गयी 2000 लीटर क्षमता की प्लास्टिक टंकियों का भौतिक सत्यापन करने पर लगभग 200 लीटर तरल पैटोलियम पदार्थ भरा पाया गया एवं 3000 लीटर क्षमता की प्लास्टिक टंकी को मापने पर भौतिक सत्यापन करने पर लगभग 350 लीटर तरल पैटोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर अहाते में 1 लोहे का 10 लीटर क्षमता का माप रखा पाया गया। **मौके पर अहाते में 1 लाल रंग की एस्सार कम्पनी** की **डिस्पेसिंग यूनिट मय 01 नोजल लगी पायी गयी। वक्त जांच अहाते में पाये** गये **पैटोलियम** पदार्थ तथा डिस्पेसिंग यूनिट के बारे में **पूछने पर बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह द्वारा कोई** स्प[illegible] **दिया गया।** मौके पर श्री बलकार सिंह द्वारा पेट्रोल[illegible] संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र / परमिट प्रस्तुत नही [illegible] पाये गये 8600 लीटर पैटोलियम पदार्थ तथा कमरे में पाये गये कुल 175[illegible] लीटर तरल पैटोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मौके पर अहाते तथा अहाते में बने कमरे में रखी सभी प्लास्टिक टंकियों में कुल 10350 लीटर (8600 + 1750 लीटर) तरल पैटोलियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पदार्थ भरा पाया गया। मौके से जब्त समस्त 10350 लीटर तरल पैटोलियम पदार्थ को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौका पर जब्त किये गये पैट्रोलियम पदार्थ की सैम्पलिंग की गयी। मौके पर पायें गये कुल 10350 लीटर तरल पैट्रोलियम पदार्थ, 2 बिजली से चलने वाली मोटरें, 2 रबड़ की पाईप (01 हरे रंग की, 01 नीले रंग की), 01 लोहे का माप (10 लीटर क्षमता) तथा 01 लाल रंग की डिस्पेसिंग यूनिट को मौके पर जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर फर्द सैम्पलिंग तैयार की गई। मौके पर उपलब्ध समस्त पैट्रोलियम पदार्थ मय प्लासिटक टंकियों व कमरे को जिसमें 01 लाल रंग की डिस्पेसिंग यूनिट व 16 प्लास्टिक टंकियां है, को गवाहान की उपस्थिति में सीज किया गया। मौका पर फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **इसप्रकार** श्री बलकार सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह उम्र 30 साल जाति जटसिख निवासी 66 एनजैडपीए गावं श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर, मो. नंबर-- 9982560018 द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02(क्यू)(आर), 03(4)(6), 04 **का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** अतः जब्तशुदा 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 2 बिजली से चलने वाली मोटरें, 2 रबड़ की पाईप (1 हरे रंग की, 21 नीले रंग की), 01 लोहे का माप, (10 लीटर क्षमता) तथा 01 लाल रंग की डिस्पेसिंग यूनिट को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु **अधिनियम की धारा 14** के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नहीं की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने लिखित प्रार्थना में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण कर रखा था जिसे अप्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है और उनके द्वारा इस हेतु किसी प्रकार कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी बलकार सिंह द्वारा

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 156 / 2025
सरकार बनाम बलकार सिंह
(GCMS No. 2025/232)

पेट्रोलियम पदार्थ बेचान करने के संबंध में कोई कागजात / अनुमति पत्र / अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी बलकार सिंह से 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री जब्त की गयी है। अप्रार्थी बलकार सिंह द्वारा क्रय / विक्रय / भण्डारण / परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी बलकार सिंह द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ फर्द मौका मय जब्ती प्रस्तुत की है, जिसमें अप्रार्थी बलकार सिंह ने पेट्रोलियम पदार्थ के तहसील करणपुर के ग्राम पंचायत में 43 जीजी (खरलां) के गांव 41 एफ में एसएमएस ईंट उद्योग के अहाते पर क्रय, भण्डारण और बेचने हेतु डिस्पेसिंग यूनिट के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। जिस पर अप्रार्थी बलकार सिंह के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) ....
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति (License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। **अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जब्त किये गये सामान पर कोई आपत्ति नहीं है, का अंकन किया है और अप्रार्थी जब्त किया गया सामान को वापिस भी नहीं लेना चाहता है, का अंकन किया है।** अप्रार्थी बलकार सिंह स्वयं ने उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को बेचान करना बताकर, फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

इस प्रकार अप्रार्थी बलकार सिंह के कब्जे से उसकी दुकान/गोदाम में 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी बलकार सिंह के पास उक्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।**

अप्रार्थी ने उक्त डीजल क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण
(12) पत्रांक : पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग ख** में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 66 अंश से.ग्रे. से 93 एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग ग** में वर्गीकृत किये **गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/raffinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट / एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

....

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग ''क'' के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग ''ख'' के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ ''भण्डारण एवं बेचान'' करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों [illegible] की अवहेलना के कारण जब्तशुदा 10350 लीटर [illegible] सामग्री राजसात किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के [illegible]यिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 10350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested